प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 26/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

विषय: भादूविप्रा के नाम पर होनेवाली धोखाधड़ी

नई दिल्ली, 06 जून, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि नागरिकों को धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप संदेश, एसएमएस और वॉयस कॉल किए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए हैं। अपराधी ऐसे जाली नोटिस का उपयोग कर रहे हैं, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक संदेश जैसा बनाया गया है। इन नोटिसों में प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर से जुड़ी अवैध गतिविधि का मिथ्या आरोप लगाया जाता है तथा उन्हें कानून प्रवर्तन से संपर्क करने के लिए दबाव डाला जाता है या सेवा समाप्ति का सामना करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान नागरिकों को यह भी धमकी दी जाती है कि अगर वे उनका जवाब नहीं देते हैं तो उनके मोबाइल नंबर काट दिए जाएँगे। कभी-कभी, धोखेबाज़ लोग चालाकी से व्यक्तियों को मैलवेयर इंस्टॉल करने या फ़िशिंग लिंक पर क्लिक करने के लिए तैयार कर सकते हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) संदेशों या आधिकारिक नोटिस के माध्यम से मोबाइल नंबर बंद करने के संबंध में किसी भी प्रकार की पहल नहीं करता है। भादूविप्रा ने ऐसे उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने हेतु किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी को प्राधिकृत नहीं किया है। इसलिए, भादूविप्रा से होने का दावा करने वाले और मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देने वाले किसी भी प्रकार के संचार (कॉल, संदेश या नोटिस) को संभावित धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए।

नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दूरसंचार विभाग के संचार साथी मंच पर चक्षु सुविधा के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें । इस प्लेटफॉर्म को https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर एक्सेस किया जा सकता है। साइबर अपराध की पुष्टि की गई घटनाओं की रिपोर्ट पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर '1930' पर या आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ के माध्यम से करनी चाहिए।

ह/-

(एस.बी सिंह)

सचिव(प्रभारी)

*****